

प्रशिक्षण कार्यशाला



निवासियों की सभा



पेरना-सुनई

क्या आपके वार्ड में निवासियों की सभा होती है?



क्या आप इसमें हिस्सा लेते हैं?

ग्राम वार्ड/मोहल्ला	-	वार्ड सदरमुख/वार्ड कमिटी	-	300 वयस्क
ग्राम पंचायत/शहरी वार्ड	-	मुखिया/वार्ड पार्षद	-	8000 वयस्क
प्रखंड	-	पंचायत समिति	-	2500 वयस्क
जिला/शहर	-	जिला परिषद/नगर निगम	-	50,000 वयस्क
राज्य स्तर पर	-	विधायक (MLA)	-	2,50,000 वयस्क
राष्ट्र स्तर पर	-	सांसद (MP)	-	12,00,000 वयस्क



मिलें - बैठें - बातें हो कुछ करें...

सार्वजनिक कार्य

सेवा एवं सुविधा के लाभ का सूचना प्राप्ति

सेवादाता को सहयोग

(सेवादाता: सेवा देने वाले जैसे शिक्षक, आशा, कृषि मित्र, विकास मित्र....)




अचूती सार्वजनिक सेवा सुविधा एवं निजी लाभ



पेरणा-सुनई

अच्छी सार्वजनिक सेवा सुविधा एवं निजी लाभ कुछ उदाहरण

- सभी गली एवं सड़क साफ एवं स्वच्छ होगा।
- कोई भी नाला जाम नहीं होगा।
- सड़क पर कोई निवासी कूड़ा नहीं फेकेंगे।
- रात में सभी गलियां एवं सड़कें रौशन होंगी।
- बरसात में सड़कों पर पानी नहीं जमेगा।
- सभी मेन होल बंद हो।
- सड़कों पर यातायात जाम नहीं लगेगा।
- यातायात नियमों का पालन होगा।
- प्लास्टिक/पॉलिथिन का उपयोग नहीं होगा।
- सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था होगी।
- सभी के बच्चे स्कुल जाएंगे और सिखेंगे।
- पार्क मेनटेन होंगे।
- हॉस्पीटल में 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे।
- कोई भी व्यक्ति असहाय नहीं होगा।



निवासी सभा कैसे करें?

- निवासी सभा की नियमित बैठक प्रतिमाह एक बार करें।
- इन बैठकों में निवासी नियमित रूप से हिस्सा लें।
- सभा में घर-घर से एजेंडा आए।
- एजेंडावार चर्चा हो। निर्णय **एजेंडा प्रपत्र** पर लिखित रूप में हो।
- निर्णय को नियमित रूप से फॉलो करना ताकि निर्णय का परिणाम मिले।
- प्रयास हो कि सभा की अध्यक्षता जनप्रतिनिधि करें।



बैठक तय दिन एवं तय समय पर हो!

यदि जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं फिर भी बैठक हो!!

इस आयोजन में कई **निवासी स्वयंसेवक** के रूप में आगे आते हैं।



पेरणा-सुनई


निवासी सभा समय-सारणी

सभा की शुरूआत एवं स्वागत (5 मिनट)

- यदि निवासी सदस्य नहीं आते हैं तो उनके जगह पर अध्यक्ष का चुनाव निवासी सभा के द्वारा।
- प्रार्थना के बाद अध्यक्ष के द्वारा दो मिनट का परिचय।
- निवासी के किसी भी सदस्य ने अपने निवासी के लिए विशेष कार्य किया है तो उसको निवासी सभा से धन्यवाद देना।

स्वयंसेवक की पहचान (5 मिनट)

- निवासी सभा के द्वारा चार स्वयंसेवक का चुनाव किया जाता है।
- पहले स्वयंसेवक द्वारा उपस्थिति हस्ताक्षर लेना।
- दूसरे स्वयंसेवक निवासी सभा में एजेंडा पर लिए गए निर्णय को लिखेंगे।
- तीसरे और चौथे स्वयंसेवक सभा में शान्ति बनाए रखने के लिए लोगों से अपील करेंगे।
- अगले महीने की निवासी सभा के लिए घर घर जाकर एजेंडा लिखकर कौन लाएगा की पहचान करना।



एजेंडा एवं अन्य विषय पर चर्चा (2 घंटा या अधिक)

- निवासी सभा में एजेंडा पर क्रमवार चर्चा
- निवासी सभा में किसी भी एजेंडा पर लिए गए निर्णय को स्वयंसेवक के द्वारा तुरंत लिखा जाता है।
- निवासी सभा में एजेंडा समाप्त होने के उपरांत समय शेष है तो सेवा वार चर्चा।
- कार्यावित सभी योजनाओं को स्वयंसेवक द्वारा पढ़कर सुनाया जाएगा।
- निवासी सभा बुलाने की प्रक्रिया को निवासी सभा स्वयंसेवक के द्वारा पढ़कर सुनाना।
- निवासी सभा के सदस्यों को आर्थिक या अन्य योगदान के लिए चर्चा।

धन्यवाद ज्ञापन : अध्यक्ष के धन्यवाद उद्देश्य के बाद निवासी सभा का समापन। (5 मिनट)




एजेंडा प्रपत्र

पंचायत/गाँव/वार्ड/मोहल्ला:		बैठक का स्थान:	तिथि और समय:	बैठक में उपस्थिति:
क्या सभा की अध्यक्षता जनप्रतिनिधि ने की? हाँ / नहीं नाम -		यदि नहीं तो अध्यक्षता किसने की उनका उप्र- ; महिला / पुरुष		
क्रम सं०	एजेंडा रखने वाले व्यक्ति का नाम एवं पिता/पति का नाम	एजेंडा एवं एजेंडा की वस्तुस्थिति क्या है? (सूचना- रिपोर्ट)	इस एजेंडा पर निर्णयः निवासी क्या करें (सूचना पहुँचाने या सरकार से माँग करने के अतिरिक्त)	इस एजेंडा पर निर्णयः क. निवासी सरकार या सेवादाता तक क्या सूचना पहुँचाएं ख. निवासी सभा के द्वारा चयनित व्यक्ति क्या एवं कब तक करें ग. जनप्रतिनिधि क्या एवं कब तक करें घ. अन्य व्यक्ति क्या एवं कब तक करें
1	2	3	4	5



निवासी सभा में चर्चा के विषय (एजेंडा)

- उपलब्ध संसाधान के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण
- सभी निवासियों के लिए योजना का निर्माण
- सार्वजनिक सेवा-सुविधा की उपलब्धता एवं उसके गुणवत्ता के अनुसार एजेंडा
- निवासियों के योगदान से संबंधित एजेंडा
- सरकार की प्राथमिकता के आधार पर एजेंडा
- प्रत्येक महीने के लिए एक विषय



सभी लोग सार्वजनिक कार्यों में सहयोग दें!
अच्छी सेवा सुविधा सब को प्राप्त हो!!



पेरणा-सुनई

निवासी सभा के स्वयंसेवक

4 या अधिक प्रकार के

- पहला स्वयंसेवक उपस्थिति-पुस्तिका पर वार्ड सभा में उपस्थिति निवासियों का हस्ताक्षर करते हैं।
- दूसरा स्वयंसेवक निवासियों की सभा में एजेंडा पर लिए गए निर्णय को लिखते हैं और पढ़कर सुनाते हैं।
- तीसरा और चौथा स्वयंसेवक सभा में शान्ति बनाए रखने के लिए समन्वयन करते हैं।
- आवश्यकता अनुसार अन्य स्वयंसेवक भी आगे आने चाहिए।
 - सरकार की घोषणाओं को बताने के लिए
 - वार्ड सभा में नगद अंशदान जमा करने और उसका लेखा रखने
 - सेवादाता तक निवासियों की सभा के निर्णय को पहुँचाने
 - सूचना इकट्ठा करना/निरीक्षण कार्य करने के लिए
- घर-घर जाकर एजेंडा लिखकर लाने के लिए (अगले महीने की निवासियों की सभा के लिए) स्वयंसेवक।



निवासियों को क्या करना है?



पहले



प्रयास



बाद



1. तय करना

निवासी सभा में मिलजुलकर सार्वजनिक लक्ष्य तय करें। उपलब्ध संसाधन का ध्यान रखें। सार्वजनिक लक्ष्य का उदाहरण

शिक्षा: सभी बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। सभी लोग skilled हों। सभी बच्चे गणित करें और धाराप्रवाह पढ़ें।



स्वच्छता: सभी लोग शौचालय का प्रयोग करें और खुले में शौच किया नहीं करें।

पीने का पानी: सभी घर से अधिकतम् 100 फीट की दूरी पर मीठा जल का चालू स्रोत हो।

इसी प्रकार अन्य सेवा-सुविधा के लिए लक्ष्य



2. विश्वास आना

- विश्वास आना... यदि उनके पास कपड़े हैं, वे दो शाम खाना खा लेते हैं, कुछ रोजगार है तो सार्वजनिक कार्य में भी योगदान दे सकते हैं।
- वे सार्वजनिक सेवा-सुविधा का लाभ लेते हैं, जिसे वे अपने घर से भी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं।



3. आगे आना

- प्रतिमाह 20 से 100 रु० सार्वजनिक चीजों के लिए नहीं दे सकते हैं क्या?
- महीने में 5 घंटे नहीं दे सकते हैं क्या?
- निवासी सभा में हिस्सा लें।
- सभा में बने नियम का पालन करना है।
- नियम का पालन नहीं करते हैं तो दंड भरना है।
- अपना आर्थिक अंशदान जमा करना है।
- सार्वजनिक कार्यों में अपना समय एवं श्रम देना है। (प्रतिमाह 5 घंटे)



4. जानकारी रखना (1/3)

सार्वजनिक लाभ की स्थिति की सूचना

(क) सूचना की उपलब्धता

- निवासियों की सभा के एजेंडा की स्थिति जानने के लिए सूचना
 - वार्ड में उपलब्ध सेवा एवं सुविधा के संबंध में नियमित सूचना

(ख) सूचना का उपयोग

- सेवा का लाभ तथा तय लाभ में अंतर को सेवादाता के द्वारा बताने में
 - निवासियों की सभा के द्वारा सेवादाताओं की सेवा के लाभ की नियमित ट्रैकिंग करने में
 - सेवादाताओं के समक्ष आनेवाली कठिनाईयों की पहचान करने में
 - सेवादाताओं को सहयोग हेतु संभावनाओं का पता लगाने में



4. जानकारी रखना (2/3)

सूचना पाने की तैयारी

- किस सेवा-सुविधा पर सूचना इकट्ठा करनी है-यह निवासियों की सभा एजेंडा में लें।
- सूचना एकत्रित करने के लिए निवासियों की सभा में तय करना कि कौन-क्या करेगा।



- सेवादाता को सूचना इकट्ठा करने के बारे में पत्र देना : पत्र में निम्न बिंदु व्यक्त होना चाहिए:
 - निवासियों की सभा का परिचय एवं सूचना इकट्ठा करने का उद्देश्य
 - सूचना इकट्ठा करने का निर्णय निवासियों की सभा में लिया गया है
 - सूचना इकट्ठा किन व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा
 - सूचना इकट्ठा करने की विधि
 - सूचना का उपयोग क्या होगा



4. जानकारी रखना (3/3)

सूचना इकट्ठा करते समय ध्यान देने योग्य बातें

- सिर्फ सेवा के लाभ की स्थिति को लिखें और सेवा देने की प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दें।
- सूचना प्राप्त करने का समय और तिथि को अवश्य लिखें।
- सेवादाता के साथ कम-से-कम बातचीत करें।
- यदि सेवा-सुविधा में कुछ कमी मिलती है तो भी सेवादाता के साथ द्वेष की भावना के साथ बात नहीं करें।
- यदि उनके ऊपर किसी प्रकार का अच्छा या खराब कार्रवाई कोई कर सकता है तो वह उनका विभाग या संस्था है।
- यदि किसी लाभार्थी से सूचना प्राप्त करनी है तो उन्हें बतायें कि यह निरीक्षण उनका नहीं बल्कि सेवादाता के प्रति है। उनकी (लाभार्थी) भावना को ठेस नहीं पहुँचाएं।



5. प्राप्ति तक प्रयास (1/2)

- सेवादाता, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं अन्य तक सार्वजनिक सेवा-सुविधा को लेकर अपना मुद्दा (लक्ष्य, माँग एवं शिकायत) को पहुँचाना है।
जब तक अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाती है।
- लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना समय, राशि एवं श्रम देना ही है।
- साथ ही अन्य निवासियों में प्रोत्साहन लाना है।
- यदि ज्यादा प्रयास करना पड़े तो ज्यादा प्रयास करते रहें जब तक कि सार्वजनिक सेवा-सुविधा निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाए।



पहले



निर्णय



प्रयास



प्रेरणा-सुनई

5. प्राप्ति तक प्रयास (2/2)

- सोच यही हो कि जनप्रतिनिधि को मजबूत बनाना है।
- जनप्रतिनिधि एक व्यक्ति हैं और वे सब कुछ नहीं कर सकते हैं आपके सहयोग से वे मजबूत होंगे।
- सिर्फ सेवादाता के काम करने से, और उनके प्रोत्साहित या खुशमिजाज होने से ही हमें अच्छी सेवा मिल सकती है।
- सेवादाता का सहयोग करें - लाभार्थी समय पर उपलब्ध हों, सार्वजनिक जगह उपलब्ध कराएं इत्यादि।
- अच्छे काम के लिए सम्मानित करें।
- किसी भी परिस्थिति में सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाए।



जनप्रतिनिधि : जिन्हें हम नागरिक अपने वोट से चुनते हैं (जैसे- वार्ड काउन्सिलर, हाउसिंग कॉर्पोरेटिव के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्य, विधायक एवं सासंद)

सेवादाता : एक संगठन या एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह होता है जो कि सेवा देता है जैसे बच्चों को पढ़ाना, इलाज करना, या साफ-सफाई करना इत्यादि।


निवासियों के लिए दूर्लभ

1. सामाजिक अंकेक्षण
2. जनता दरबार
3. जन शिकायत निवारण प्रणाली
4. सेवादाता एवं पदाधिकारियों का फोन नंबर
5. सिटीजन चार्टर
6. सामाजिक संगठन
7. लाभार्थी कमिटी
8. सूचना का अधिकार (RTI)
9. खुद से सूचना सार्वजनिक करना
10. सेवा का अधिकार (RTPS)
11. सेवा का अधिकार केंद्र
12. नागरिक सेवा केंद्र
13. लोकपाल
14. उपभोक्ता फोरम
15. नगर निगम
16. संविधान
17. संविधान में एरिया सभा का महत्व
18. कोर्ट एवं नागरिकों के लिए कानून
19. पुलिस स्टेशन





सार्वजनिक
लक्ष्य एवं लाभ
की प्राप्ति



हमारा शहर-गाँव कैसा होगा



पेरणा-सुनई

सहजकर्ता एवं उनके कार्य

निवासियों की सभा सहजकर्ता एक उद्यमी खुशमिजाज व्यक्ति होंगे, जो कि सार्वजनिक कार्यों के योगदान को सहज करते हैं। इनका कार्यः

- निवासी सभा पर कार्यशाला करते हैं।
- निवासी सभा आयोजन प्रक्रिया के बारे में बताते हैं।
- निवासी सभा कार्यकर्ता को सहयोग एवं उत्साहित करते हैं।
- निवासी सभा आयोजन की तिथि से एक दिन पहले प्रचार प्रसार करने के लिए कार्यकर्ता के साथ घर-घर जाते हैं।
- लगातार प्रोत्साहित करते रहना कि सभा में महिलाओं, वृद्धों एवं अन्य सभी वर्ग के लोग अपनी बातों को रखें और उनकी बातें सभी लोग सुनें।

क्या नहीं करते?

- निवासियों की सभा आयोजन के अतिरिक्त सीधे कोई भी काम नहीं करते।
- घर-घर भ्रमण में वार्ड सभा के एजेंडा के बारे में चर्चा नहीं करते।
- बैठक के किसी भी निर्णय में अपना विचार नहीं देते।
- एजेंडा, निर्णय, निरीक्षण या पत्र को वे खुद से नहीं लिखते।

सही बोला जाय तो नियमित और प्रभावकारी निवासियों की सभा बिना सहजकर्ता के होना चाहिए।





प्रेरणा डेवलपमेंट फाउण्डेशन

प्रथम तल, F-31, पी.सी.कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना- 800020 (बिहार)

मो. नं.- 9470835146, gramsabhaprerna@gmail.com

www.wardsabha.org

सम्पर्क व्यक्ति:

प्रणव कुमार चौधरी (9430058457)

प्रदीप राय (7250848092)